

राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैच सं 2
(न्यायालय :- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर)


मेजर सिंह बनाम बंजि-द सिंह आदि
वाद सं 136-19 सीरीएमएस आईडी 2019/00307
दावा अन्तर्गत धारा 88-92ए 209 प्रारंभिक

12.03.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एव सेशन न्यायाधीश महोदय), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक /स्था/ने लोअ/2022/21 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (राजस्व न्यायालयों) हेतु गठित की गई बैच सं 2 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैच के समक्ष पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4, 5/1 ता 5/5, 6/1, 6/2, 6/3/1 एवं 6/3/2 जरिए मुख्तयानामा खास अजायब सिंह तथा प्रतिवादी सं. 7 ने दिनांक 07.03.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में काउंटर क्लेम पेश किया गया था, प्रतिवादीगण का लोक अदालत की प्रकरणा से वादी से आपस में राजीनामा हो गया हैं। प्रतिवादीगण ये काउंटर क्लेम आगे नहीं चलाना चाहते नोटप्रेस में इसी स्तर पर विड्राल करते हैं। काउण्टर क्लेम खारिज करने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र वादी दिनांक 20.10.2021 को नोट प्रेस आधार पर खारिज किया जाकर काउंटर क्लेम प्रतिवादी रिकार्ड पर लिया गया था। आज यह प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया गया हैं। वकील प्रतिवादीगण द्वारा काउंटर क्लेम विड्रा करने की अनुमति प्रदान कर प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका हैं। वाद पत्र वादी पूर्व में नोट प्रेस आधार पर खारिज किया जा चुका हैं। अतः प्रतिवादीगण को काउंटर क्लेम विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती हैं। अतः काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण वकील प्रतिवादीगण के निवेदन एवं प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के धारा पर जरिए विड्रा इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं।

अब प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। पत्रावली फौंसल में शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच
रायसिंहनगर


12/3/22
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच
रायसिंहनगर